

सेवा मं.

महालेखाकार (ले० एवं हक०), विहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक २४.१.२०१९

विषय— विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेक्निक, पटना-७ में AICTE के मापदण्ड के अनुसार पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अतिरिक्त अद्यतन विशिष्टियों की 159 (एक सौ उनसठ) कम्प्यूटर एवं ८ (आठ) प्रिंटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,04,15,000=०० (एक करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेक्निक, पटना-७ में AICTE के मापदण्ड के अनुसार पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर एवं प्रिंटर के अतिरिक्त अद्यतन विशिष्टियों की 159 (एक सौ उनसठ) कम्प्यूटर एवं ८ (आठ) प्रिंटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,04,15,000=०० (एक करोड़ चार लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

२. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्यशीर्ष-4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –०२-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-०१०९-पोलिटेक्निक (निश्चय)” के अधीन ५२ ०२ मशीनें एवं उपरकर-अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-4202021040109 है।

३. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

४. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गुलजारबाग, पटना-७ से की जायेगी।

५. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा। क्रय की गई, मशीनरी/ कम्प्यूटर/ सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करें। *(२०१९-२०२०)*

६. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिमेवार होंगे तथा क्रय किये गए कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की सूची (विशिष्टियां सहित) एवं उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

७. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्वय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

८. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

९. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मिर्जा आरिफ रजा)
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि०प्रा० (III) य^१ -1/2007- ३५५ /पटना, दिनांक- २४.१.२०१९

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरकार के उप सचिव)


ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) य^१ -1/2007- ३५५ /पटना, दिनांक— २८-१-२०१९
 प्रतिलिपि— कोणागार पदाधिकारी, राजकीय कोणागार, गुलजारहाट, पटना-७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) य^१ -1/2007- ३५५ /पटना, दिनांक— २८-१-२०१९
 प्रतिलिपि— प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, पटना-७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या— वि.प्रा. (III) य^१ -1/2007- ३५५ /पटना, दिनांक— २८-१-२०१९
 प्रतिलिपि— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव